कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर।

पत्रांकः बेसिक/मान्यता/4476-77/2026–27 दिनांकः– 22.9.2026

प्रबंधक,
श्रीराम इन्टरनेशनल स्कूल,
ग्राम नगला, देवकरनपुर उर्फ बझेडा, अनूपशहर।
विषय– स्थायी मान्यता विषयक प्रार्थना पत्र निस्तारण के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 19.09.2026 के कम में अवगत कराना है, कि श्रीराम इन्टरनेशनल स्कूल, ग्राम नगला, देवकरनपुर उर्फ बझेडा, अनूपशहर को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांकःशि0स0/मान्यता/702–05/2016–17 दिनांक 10.05.2016 के द्वारा मान्यता प्रदान की गयी थी। उक्त मान्यता शासनादेश संख्या 419/79–2013–18(20)/91 शिक्षा अनुभाग लखनऊ दिनाक 08.05.2013 के अनुसार मान्यता निर्गत की गयी, शासनादेश के प्रस्तर–13 के बिन्दु संख्या 15 में उल्लेखित प्राविधान निम्नवत है–'प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लेखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबंधिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है''।

परियोजना निदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय के पत्र रा0पा0नि0/5654/2021–22 लखनऊ दिनांक 08.03.2022 में स्पष्ट है कि उक्त प्राविधान के अनुसार मान्यता के सम्बन्ध में अपडेटेड प्रमाण–पत्र निर्गत करने का प्राविधान नहीं है। शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांकःशि0नि0(बे0)/मान्यता/38274–371/2025–26 दिनांक 10.10.2025 के द्वारा निर्देशित किया गया है शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 के प्रस्तर–13 में उल्लेखित प्राविधानों के अन्तर्गत जिन विद्यालयों को औबन्धिक मान्यता प्रदान की गयी है तथा मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं हुआ है तो औपबन्धिक मान्यता प्राप्त होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त है।

श्रीराम इन्टरनेशनल स्कूल, ग्राम नगला, देवकरनपुर उर्फ बझेडा, अनूपशहर की मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं हुआ है। इस प्रकार से उक्त विद्यालय वर्तमान में बेसिक शिक्षा विभाग से एक स्थायी मान्यता प्राप्त संस्था है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर।